



**फर्द अहकाम
(नियम-20)**

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

| | |
|--|--|
| <p>प्रार्थीगण सुगनाराम पुत्र नारायणराम वर्गी</p> | <p>अप्रार्थीगण प्रेमाराम पुत्र रावतराम वर्गी</p> |
| <p>बनाम</p> | <p>मुकदमा नं. 77 /2017 P.P.</p> |
| <p>कसम प्रकारण : राजस्व प्रार्थना पत्र</p> | |

| <p>तारिख हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही इनिशिल जज</p> | <p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुवे।</p> |
|-------------------|---|---|
| <p>23.06.2017</p> | <p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम एवं सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री रामनारायण चौधरी ने पेश कर अस्थाई निशेधाज्ञा बाबत निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व शपथपत्र का अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का सुतंलन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण संख्या 4 किशोरीलाल के विरुद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी कर मौजा लुणसरा के खसरा नं 588 रकबा 37-06 बीघा भूमि के किसी भू भाग में प्रवेश नहीं करे व कच्चा पक्का मकान निर्माण नहीं करे साथ ही अप्रार्थी संख्या 5 बिना रूपान्तरण, बिना खातेदारी के अवैध निर्माण अप्रार्थी किशोरीलाल को नहीं करने देवे। तथा अवैध निर्माण पर धारा 90 बी एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे पक्षकारों को नोटिस जरिये रजिस्टर ऐडी भिजवाये। पत्रावली दिनांक 26.07.2017 को पेश हो।</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>महायक कलक्टर तक डी. डी.) जायल (नागौर)</p> </div> <p align="center">पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीटालीन अधिवक्तारी नौ मितिग में/प्रमण अवकाश पर गभे हुए है, इतलिए प्रकरण उनके सम्मक्ष दिनांक 6.11.17 को प्रस्तुत करें।</p> | |

13-9-17

6.11.17

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीटालीन अधिवक्तारी नौ मितिग में/प्रमण अवकाश पर गभे हुए है, इतलिए प्रकरण उनके सम्मक्ष दिनांक 3.1.18 को प्रस्तुत करें।

3.1.18

वेदांग/व्यवधान के अधिकार
वेदांग अधिकारी की नियुक्ति में/अथवा
अन्यथा पर नए हुए हैं, इतिहास प्रकरण
उनके साथ दिनांक 16.4.18 को
नगुन करें।
e

2018/1491

File No. 193 / 2017

13-5-17
611-17
2017
16413

26.09.18

पत्रावली न्याय आपके द्वार - 2018 पूर्ण होने पर देश हुई। वकील प्रावी को वर्धादा समर्थ दिये जाने के पश्चात भी नोटिस तलबाना देश नहीं किया। न्यायद्वारा में वकील मान्य को जोहिस तलबाना हेतु जतिम अवसर दिए जाता है। पत्रावली दि-18.1.19 को देश है।

18.1.17

पत्रावली देवा हुई। वरुबाद उपर वकील प्रावी के अध्यापन न नोटिस तलबाना प्रेषित किया। नोटिस जारी किए जाने वकील प्रावी नोटिस जरूरि के बरि 23 किजवति ह्य भागानी प्रेषित बरि दे प्रेष करे। पत्रावली तलबी के इ-तजार के दिनांक 12.5.19 को प्रेष हो।

17.5.19

वेदांग/व्यवधान के अधिकार
वेदांग अधिकारी की नियुक्ति में/अथवा
अन्यथा पर नए हुए हैं, इतिहास प्रकरण
उनके साथ दिनांक 16.5.19 को
नगुन करें।
e

26.6.17

संबंधित मूल वाद 193/17 को निद्रोल करने बाकत प्राधन-पत्र प्रीकर मिभा जाकर मूल वाद सं. 193/17 जरिमे निद्रोल करि मिभा जा चुका है। इस कारण प्राधन-पत्र बाकत कलघाई निषेधाज्ञा चलाने का ऑनिल नही बरि दे कर प्राधन-पत्र के जारी कलघाई निषेधाज्ञा तारिख 23.6.2017 को बारिज मिभा बाला है।

| संख्या | वेदांगीय अधिकारी के समुह द्वारा प्राप्त इतिहास प्रकरण | आदेश की प्रतिलिपि का अतिरिक्त प्रेषण |
|--------|---|--------------------------------------|
| | तथा पत्रावली में कोई कार्यवाही बरि नहीं है। कारण परिस्थितियों से पत्रावली बारिज कर मजदूर से कर हो कर दाखिल दफ्तर है। 2/6/19 बहालित मजदूर ब. सं. सं. 417 (पत्रावली) | |

जिसमें सफलता की शत प्रतिशत आशा है। मौजा लूनसर खेत खसर नाम

① - 171
② - 10-6-2018
③
प. 0